राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः— प.10(182)नविवि / 3 / 10 जयपुर, दिनांक 28.07.2010

—:अधिसूचनाः—

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को कापरेन जिला बून्दी के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते है, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैः—

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1	कापरेन	KAPRAIN
2	हॅाडियाखेड़ा	HANDIYAKHERA
3	ठीमली	THIMLI
4	बालापुरा	BALAPURA
5	अड़ीला	ADILA
6	टाकरवाड़ा	TAKARWARA
7	हीरापुर	HEERAPUR
8	बोरदामाल	BORDAMAL
9	गरजनी (रेलवे लाईन के दक्षिण का क्षेत्र)	GARJANI(South of Railway Line)
10	अरड़ाना (रेलवे लाईन के दक्षिण का क्षेत्र)	ARDANA(South of Railway Line)
11	हिगोनिया(रेलवे लाईन के दक्षिण का क्षेत्र)	HIGONIYA(South of Railway Line)
12	जोश्याखेड़ा	JOSHYAKHERA
13	करीरिया	KARIRIYA
14	चाड़गाम (रेलवे लाईन के दक्षिण का क्षेत्र)	CHADGAON(South of Railway Line)

राज्यपाल की आज्ञा से
(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप

सचिव—प्रथम

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
6. जिला कलेक्टर, बून्दी।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कापरेन।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर

नियोजक